न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/02

प्रकरण संख्या 02/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री उदयलाल पिता श्री हीरालाल धाकड़ निवासी, रामपुरा तहसील कानोड, उदयपुर।
2. श्रीमति भगवतीबाई पिता श्री हीरालाल धाकड़, निवासी रामपुरा तहसील कानोड, उदयपुर।
3. श्री धूलचन्द पिता श्री चतरभुज धाकड़, निवासी रामपुरा तहसील कानोड, उदयपुर।
4. श्री लक्ष्मीनारायण पिता श्री प्रभुलाल धाकड़, निवासी रामपुरा तहसील कानोड, उदयपुर।
5. श्रीमति शान्तिबाई पत्नि री प्रभुलाल धाकड़ निवासी रामपुरा तहसील कानोड, उदयपुर।
6. श्री नन्दकिशोर पिता श्री उदयलाल धाकड़ निवासी रामपुरा तहसील कानोड, उदयपुर।
7. श्री प्रकाशचन्द पिता श्री भंवरलाल धाकड़ निवासी रामपुर तहसील कानोड, उदयपुर।

..................प्राथीगण

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता श्री चम्पालाल धाकड़ निवासी रामपुरा तहसील कानोड़, उदयपुर।
2. श्री देवीलाल पिता श्री मोतिलाल धाकड़ निवासी रामपुरा तहसील कानोड़, उदयपुर।
3. श्री जगदीश पिता श्री प्रभुलाल धाकड़ निवासी रामपुरा तहसील कानोड़, उदयपुर।
4. श्री देवीलाल पिता श्री चुन्नीलाल धाकड़ निवासी रामपुरा तहसील कानोड़, उदयपुर।
5. श्री मांगीलाल पिता श्री चम्पालाल धाकड़ निवासी रामपुरा तहसील कानोड़, उदयपुर।
6. श्री शंभूलाल पिता श्री कन्नीराम धाकड़ निवासी रामपुरा तहसील कानोड़, उदयपुर।
7. श्री सुरेशचन्द्र पिता श्री कन्नीराम धाकड़ निवासी रामपुरा तहसील कानोड़, उदयपुर।
8. श्री किशनलाल पिता श्री गोपीलाल धाकड़ निवासी रामपुरा तहसील कानोड़, उदयपुर।
9. श्री प्रीतम पिता श्री हुक्मीचन्द धाकड़ निवासी रामपुरा तहसील कानोड़, उदयपुर।
10. श्री मांगीलाल पिता श्री सवलाल धाकड़ निवासी रामपुरा तहसील कानोड़, उदयपुर।
11. श्री पुष्करलाल पिता श्री जयराज धाकड़ निवासी रामपुरा तहसील कानोड़, उदयपुर।
12. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कानोड़, तहसील कानोड़, उदयपुर।

.............अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री मुकेश कुमार डांगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 06.[illegible]22

1. प्राथीगण ने प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान कैम्प कोर्ट लू[illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धाकड़ों का खेड़ा, पटवार हल्का लुणदा, भू.अ.नि. वृत लुणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 136 में स्थित आराजी संख्या 790 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 791 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 792 रकबा 0.3600 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 793 रकबा 0.3400 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.4500 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी संख्या 1 के नाम पर 3/8 हिस्सा,

उपखण्ड अधिकारी भी.
जिला-उदयपुर (राज.)

प्रार्थी संख्या 1 व 2 की माँ जगन्नाथी के नाम पर 1/8 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 के नाम पर 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 के नाम पर 1/8 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 के नाम पर 1/8 हिस्सा खातेदारी हक से अंकित है तथा खाता संख्या 134 की आराजी संख्या 37 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थी संख्या 1 के नाम पर 1/8 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 के नाम पर 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 के नाम पर 1/8 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 के नाम पर 1/8 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 6 के नाम पर 1/8 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 7 के नाम पर 1/4 हिस्सा खातेदारी हक से अंकित है एवं खाता संख्या 135 की आराजी संख्या 38 रकबा 0.5000 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 39 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5600 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थी संख्या 1 के नाम पर 1/6 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 के नाम पर 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 के नाम पर 1/6 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 के नाम पर 1/6 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 6 के नाम पर 1/6 हिस्सा खातेदारी हक से अंकित है।

2. उपरोक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण ही हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है एवं प्रार्थीगण के अलावा किसी अन्य का उपरोक्त आराजियात में किसी भी प्रकार से कोई हक–अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात की सुरक्षा एवं विकास के लिए प्रार्थीगण आवश्यक कार्य करना चाहते है, जिससे प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजीयात का नियमानुसार सीमांकन कराया जाकर पक्की पत्थरगढ़ी कराई जाना न्यायहित में बहुत ही आवश्यक है जिससे भविष्य में कभी भी सीमा संबंधी कोई विवाद नही रहे। जब प्रार्थीगण द्वारा सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी कराये जाने के लिए विपक्षीगण को कहा गया, तो उनके द्वारा प्रार्थीगण को इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करवाने की बात कही गई, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भींडर जिला-उदयपुर (राज.)

3. अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में खाता संख्या 136 में अंकित जगन्नथी पत्नि हीरालाल हिस्सा 1/8 की [illegible] चुकी है जिसके विधिक वारिस प्रार्थी संख्या 1 एवं 2 ही है। अतः प्रार्थीगण ने [illegible] किया कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजीयात का नियमानुसार सीमांकन कराया जाकर पक्की पत्थरगढ़ी कराई जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया। जिसमें विपक्षीगण ने प्रशांसन गावों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सहमति प्रदान की।

उपखण्ड अधिकारी भींडर
जिला-उदयपुर (राज.)

5. कुछ पक्षकारो द्वारा न्यायालय में बाद सूचना के भी उपस्थित नही हुए इसके कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया तथा विद्धान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया जिससे मौजा धाकड़ों का खेड़ा, पटवार हल्का लुणदा तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 136 में स्थित आराजी संख्या 790 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 791 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 792 रकबा 0.3600 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 793 रकबा 0.3400 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1. 4500 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 134 की आराजी संख्या 37 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 135 की आराजी संख्या 38 रकबा 0.5000 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 39 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5600 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम अंकित है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. तहसीलदार कानोड़ को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा मौजा धाकड़ों का खेड़ा, पटवार हल्का लुणदा तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 136 में स्थित आराजी संख्या 790 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 791 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 792 रकबा 0.3600 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 793 रकबा 0.3400 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.4500 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 134 की आराजी संख्या 37 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 135 की आराजी संख्या 38 रकबा 0.5000 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 39 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5600 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

8. निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होक… कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)